

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 10.01.2025

आ.प्र.अ.(वाणिज्यिक) 5/2025

[FAO (COMM) 5/2025]

किरण सहगल स्वामी मेसर्स बालाजी

ट्रेडिंग कंपनी और अन्य

.....अपीलकर्ता

द्वारा: श्री अंशुमन गार्गेश, विद्वान अधिवक्ता

बनाम

वीना अग्रवाल स्वामी पावर इलेक्ट्रो कंट्रोलस

.....प्रत्यर्था

द्वारा: कोई नहीं

कोरम:

माननीय श्री न्यायमूर्ति नवीन चावला

माननीय श्री न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा

न्या. नवीन चावला. (मौखिक)

सि.वि. आवेदन 1253-54/2025 (छूट)

1. स्वीकृत, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन।
2. आवेदन का निपटान किया जाता है।

आ.प्र.अ. (वाणिज्यिक) 5/2025 एवं सि.वि. आवेदन 1252/2025

3. यह अपील दिनांक 13.09.2024 को माननीय जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), न्यायालय संख्या 08, केंद्रीय जिला, तीस हज़ारी न्यायालय, दिल्ली द्वारा वाद संख्या सि.वि (वाणिज्यिक) 5100/2021, शीर्षक *वीना अग्रवाल बनाम मेसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी एवं अन्य*, में पारित आदेश को चुनौती देने हेतु दायर की गई है, जिसके द्वारा अंतरिम व्यादेश जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ताओं को 'POWERMEN DLX' और 'POWERMEN MAXX' या किसी अन्य समान भ्रामक ट्रेडमार्क, लेबल आदि के अंतर्गत उत्पादों का निर्माण, विपणन, बिक्री या अन्य किसी प्रकार के लेन-देन करने से वाद के अंतिम निर्णय तक रोका गया था।

4. प्रत्यर्थी ने उपरोक्त वाद दायर किया था, जिसमें यह दावा किया गया कि वह 'POWERMAN' ट्रेडमार्क का स्वामी है, जिसका उपयोग अप्रैल 2000 से विद्युत उपकरणों और सहायक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री, विपणन और वितरण के लिए किया जा रहा है। यह फर्म प्रत्यर्थी के दिवंगत पति द्वारा 01.04.2000 को स्थापित की गई थी। ट्रेडमार्क 'POWERMAN' का उपयोग प्रत्यर्थी विभिन्न वस्तुओं जैसे रोटरी स्विच, रिले, रॉकर स्विच, टर्मिनल स्ट्रिप्स, वोल्ट और ए.एम. मीटर, इन्वर्टर और यूपीएस किट्स के लिए करता है, और इसे 13.02.2008 से

लेबल मार्क के रूप में पंजीकृत भी किया गया है। अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 प्रत्यर्थी की फर्म के विशिष्ट वितरक रहे हैं, जो सितंबर 2021 तक 10 वर्षों से अधिक समय तक जुड़े रहे, जबकि अपीलकर्ता संख्या 3 अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 का पुत्र है।

5. प्रत्यर्थी ने यह भी कहा कि अगस्त 2021 में उसे यह जानकारी मिली कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने 'पावरमैन DLX' नामक समान ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और उसी ट्रेडमार्क के अंतर्गत वस्तुओं की बिक्री भी कर रहा है। इसके बाद प्रत्यर्थी ने 29.09.2021 को अपीलकर्ताओं को एक नोटिस जारी किया। ट्रेडमार्क वापस लेने के बजाय, अपीलकर्ता संख्या 3 ने 'पावरमैन MAXX.' ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया। इससे आहत होकर प्रत्यर्थी ने उपरोक्त वाद दायर किया।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह समझने में त्रुटि की है कि दोनों चिन्ह, अर्थात् प्रत्यर्थी का और अपीलकर्ताओं का, अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी का चिन्ह 'POWERMAN' है (ज़ोर दिया गया), जबकि अपीलकर्ताओं का चिन्ह 'POWERMEN' है (ज़ोर दिया गया)। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं के चिन्ह पंजीकृत हैं, इसलिए अपीलकर्ताओं को उक्त चिन्ह के उपयोग से रोकने के

लिए कोई व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्यर्थी अपीलकर्ताओं को एक बड़ी राशि का देनदार है, जिसके लिए अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध वसूली का वाद दायर किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत वाद प्रत्यर्थी ने केवल अपीलकर्ताओं द्वारा दायर वाद के प्रतिशोध स्वरूप दायर किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कई अन्य पक्ष भी आक्षेपित चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं।

7. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतियों पर विचार किया है, परंतु उनमें कोई गुणागुण नहीं पाया।

8. प्रत्यर्थी का चिन्ह 'POWERMAN' है और यह स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 प्रत्यर्थी की फर्म के विशिष्ट वितरक रहे हैं, जो सितंबर 2021 तक 10 वर्षों से अधिक समय तक जुड़े रहे। अपीलकर्ताओं ने ध्वन्यात्मक रूप से समान चिन्ह 'POWERMEN' अपनाया है। केवल 'A' को 'E' से बदल देने से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता। ऐसे मामलों में लागू होने वाली कसौटी एक सदोष स्मृति वाले व्यक्ति की होती है। दोनों चिन्हों को एक साथ रखकर यह निर्धारित नहीं किया जाता कि एक दूसरे से भ्रामक रूप से समान है या उसके उपयोग से भ्रम उत्पन्न होने की संभावना है। दोनों चिन्हों की ध्वन्यात्मक समानता पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। जिन वस्तुओं का

अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी व्यापार करते हैं, वे भी अलग नहीं बताई गई हैं। इसी प्रकार, 'DLX' या 'MAXX' जैसे प्रत्यर्थों को जोड़ने से भी वर्तमान मामले में भ्रामक समानता की कसौटी पर कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता।

9. जहाँ तक अपीलकर्ताओं की यह दलील है कि उनका चिन्ह विधिवत रूप से ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में पंजीकृत है, इस पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि जब प्रत्यर्थी को 'POWERMAN' चिन्ह का स्वामी पाया गया है, और अपीलकर्ताओं का चिन्ह उससे भ्रामक रूप से मिलता-जुलता पाया गया है, तथा अपीलकर्ता उस चिन्ह के बाद में अपनाते पाए गए हैं, बल्कि यह भी पाया गया है कि उन्होंने प्रत्यर्थी की प्रतिष्ठा पर अनुचित लाभ उठाने की नीयत से चिन्ह अपनाया है, तो मात्र ट्रेडमार्क का पंजीकरण प्रत्यर्थी को अंतरिम आदेश देने से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। यह विधि में स्थापित है कि यदि वादी/चिन्ह के स्वामी द्वारा "पासिंग ऑफ" का मामला बनाया जाता है, तो पंजीकृत स्वामी के विरुद्ध भी व्यादेश दिया जा सकता है। **एस. सैयद मोहिदीन बनाम पी. सुलोचना बाई,** (2016) 2 SCC 683 में यह कहा गया था :-

"30.3. अधिनियम की धारा 28(3) यह प्रावधान करती है कि समान या मिलते-जुलते ट्रेडमार्क के दो पंजीकृत स्वामियों के अधिकार एक-दूसरे के विरुद्ध लागू नहीं होंगे। हालांकि, ये अधिकार तीसरे पक्षों के विरुद्ध समान रूप से लागू होंगे। धारा 28(3) केवल यह कहती है कि एक पंजीकृत स्वामी के अधिकार दूसरे पंजीकृत स्वामी के विरुद्ध नहीं

होंगे, और यह केवल पंजीकरण के उद्देश्य से है। यह प्रावधान 28(3) कहीं भी "पासिंग ऑफ" के अधिकारों पर टिप्पणी नहीं करता, जो कि अधिनियम की धारा 27(2) के अधिभावी प्रभाव के कारण अप्रभावित रहते हैं। अतः सामान्य विधि से उत्पन्न अधिकार धारा 28(3) के अधिनियमन से अप्रभावित रहते हैं, जो स्पष्ट रूप से कहती है कि एक पंजीकृत स्वामी के अधिकार दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध लागू नहीं होंगे।”

10. उच्चतम न्यायालय ने टोयोटा जिदोशा काबुशिकी कैशाव में बनाम प्रियस ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2018) 2 SCC 1 में कहा है कि:-

“27. केलीस लॉ ऑफ ट्रेड मार्क्स और ट्रेड नेम्स [केलीस लॉ ऑफ ट्रेड मार्क्स और ट्रेड नेम्स थॉमसन, 14वाँ संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल, दक्षिण एशियाई संस्करण, 2005] से उद्धृत अनुच्छेद, जिसका एस. सैयद मोहिन्दीन [एस. सैयद मोहिन्दीन बनाम सुलोचना भाई [(2016) 2 SCC 683 : (2016) 2 SCC (सि.) 201] में उल्लेख किया गया था, यहाँ पुनः उद्धृत किया जा सकता है ताकि भारतीय अधिकार क्षेत्र में पासिंग ऑफ (भ्रामक व्यापारिक प्रस्तुति) कार्रवाई का परीक्षण करने वाले सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या की जा सके। भारतीय व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के प्रावधान संयोगवश यू.के. व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1994 के समान हैं।

“15-034. संभवतः एक अपवाद को छोड़कर, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1994 किसी व्यापारी के दूसरे के विरुद्ध पासिंग ऑफ कार्रवाई के अधिकार को प्रभावित नहीं करता। अतः यह कोई बाधा नहीं है कि व्यापार नाम, रूप-रंग (get-

up) या अन्य पहचान चिह्न, जो वादी के व्यवसाय से जुड़े हैं और जिनकी नकल या अनुकरण प्रत्यर्थी द्वारा किया गया है, ट्रेड मार्क्स के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, भले ही साक्ष्य पूरी तरह से ऐसे चिह्न पर केंद्रित हो जो पंजीकरण योग्य हो। इसी प्रकार यह कोई बचाव नहीं है कि प्रत्यर्थी का चिह्न पंजीकृत है। अधिनियम उन लोगों को लाभ देता है जो अपने ट्रेड मार्क्स पंजीकृत करते हैं, लेकिन जो पंजीकृत नहीं करते उन पर कोई दंड नहीं लगाता। यह भी कोई बाधा नहीं है कि झूठा प्रतिरूपण किसी ऐसे ट्रेड मार्क का अनुकरण है जो पंजीकरण योग्य नहीं है। पासिंग ऑफ कार्रवाई पंजीकृत स्वामी के विरुद्ध भी लाई जा सकती है। यह तथ्य कि वादी किसी अन्य पक्ष (या प्रतिवादी भी) द्वारा पंजीकृत चिह्न का उपयोग कर रहा है, अपने आप में उस उपयोग से उत्पन्न प्रतिष्ठा को रोकता नहीं है, और न ही वादी को उस प्रतिष्ठा पर भरोसा करने से रोकता है। ऐसे अपंजीकृत चिह्नों को अक्सर 'कॉमन लॉ ट्रेड मार्क्स' कहा जाता है।”

(जोर दिया गया)

11. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील भी हमें प्रभावित नहीं करती है कि ऐसे अन्य लोग भी हैं, जो समान चिह्न का उपयोग कर रहे हैं, जिनके खिलाफ प्रत्यर्थी ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। प्रत्यर्थी को हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है जो उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 प्रत्यर्थी के वितरक थे। उनकी ओर से प्रत्यर्थी के व्यवसाय को दूसरों, जिनके चिह्न का उपयोग आज की तारीख तक हमारे सामने नहीं है, की तुलना में और भी अधिक

नुकसान पहुंचने की संभावना है। हम **पंकज गोयल बनाम डाबर इंडिया लिमिटेड**, 2008 SCC OnLine Del 1744 में इस न्यायालय के निर्णय से उद्धृत करेंगे, जो इस प्रकार है:-

“17. हमारे अनुसार प्रत्यर्थी/अपीलकर्ता द्वारा रासमोला का पंजीकरण इसके लिए कोई पूर्ण बचाव प्रस्तुत नहीं करता है। यहाँ तक कि केली ने अपने ग्रंथ ट्रेड मार्क्स एंड ट्रेड नेम्स में कहा है कि पासिंग ऑफ एक्शन उसी सबूत पर सफल हो सकता है जहाँ ट्रेडमार्क कार्रवाई विफल रही है। केली के अनुसार, ट्रेड मार्क अधिनियम पासिंग ऑफ कार्रवाई के लिए कोई रोक नहीं लगाता है। वास्तव में, यह अवधारणा व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 27(2) के आधार पर भारत में निगमित रूप से वैधानिक है। धारा 27(2) स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि “इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी व्यक्ति के विरुद्ध उस स्थिति में कार्रवाई करने के अधिकार प्रभावित हों जब वह किसी अन्य व्यक्ति के माल या सेवाओं को अपने माल या सेवाओं के रूप में प्रस्तुत करता है, अथवा उसके संबंध में उपलब्ध उपचार प्रभावित हों।” इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने एन.आर. डोंगरे बनाम व्हर्लपूल कॉरपोरेशन, AIR 1985 Del 300 : (1996) 16 PTC 476 (Del) (DB) में, पासिंग ऑफ के आधार पर, यहाँ तक कि एक पंजीकृत ट्रेडमार्क स्वामी को भी उसी चिह्न का उपयोग करने से रोक दिया था। उक्त निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने एन.आर. डोंगरे बनाम व्हर्लपूल कॉरपोरेशन, (1996) 5 SCC 714 में बरकरार रखा।

18. सुप्रीम कोर्ट ने अमृतधारा फार्मसी के मामले में, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, अमृतधारा को लक्ष्मणधारा के समान भ्रामक रूप से माना। सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में आगे यह निर्धारित किया कि इस मुद्दे की जांच एक

असावधान खरीदार की औसत बुद्धि और दोषपूर्ण स्मरण शक्ति के परीक्षण को लागू करके की जानी थी। उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में अभिनिर्धारित किया कि भले ही दोनों नामों की आलोचनात्मक तुलना से कुछ अंतरों का पता चल सके, फिर भी औसत बुद्धि और दोषपूर्ण स्मरणशक्ति वाला एक असावधान खरीदार दोनों उत्पादों की समग्र समानता से धोखा खाएगा।

19. वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी/वादी का चिह्न न केवल समान है, बल्कि उनके उत्पाद भी एक जैसे हैं और ग्राहकों के एक ही वर्ग द्वारा खरीदे जाते हैं और उक्त माल एक ही व्यापारिक चैनल से बेचे जाते हैं। हमारे विचार में कारकों की त्रिमूर्ति भ्रम पैदा करती है और परिणामस्वरूप, पासिंग ऑफ के लिए एक मामला बनाती है। इसके बाद अपीलकर्ता द्वारा इसी तरह के चिह्न को अपनाना प्रथमदृष्टया बेईमानी प्रतीत होती है और कोई भी उपयोगकर्ता इसे ठीक नहीं कर सकता है। यदि इस न्यायालय द्वारा दिए गए व्यादेश को जारी नहीं रखा जाता है, तो अपीलकर्ता द्वारा उसी चिह्न का उपयोग करने से आम जनता को धोखा मिलने की संभावना है।

20. बी.के.इंजीनियरिंग कंप्लेंट बनाम यू.बी.एच.आई. एंटरप्राइजेज (पंजीकृत), AIR 1985 (Del) 210 : (1986) 5 PTC 1 (Del) (DB) में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने माना है कि व्यापार न केवल ईमानदार होना चाहिए, बल्कि अनजाने में भी अनुचित नहीं होना चाहिए। लक्ष्मीकांत वी. पटेल वी. बनाम चेतन भट्ट शाह, (2002) 24 PTC1 (SC), में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ यह संभावना है, भले ही व्यवसाय में भी, वहाँ व्यादेश दिया जाएगा, भले ही प्रतिवादियों ने निर्दोष रूप से नाम अपनाया हो।

21. जहाँ तक अपीलकर्ता का यह तर्क है कि "MOLA" शब्द व्यापार में सामान्य है और इसके विभिन्न रूप बाजार में

उपलब्ध हैं, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता यह प्रथमदृष्टया से सिद्ध नहीं कर पाया कि उक्त 'उल्लंघनकर्ताओं' का महत्वपूर्ण व्यापारिक कारोबार था या वे वादी की विशिष्टता के लिए कोई खतरा उत्पन्न कर रहे थे। वास्तव में, हमारा मत है कि प्रत्यर्थी/वादी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह सभी छोटे प्रकार के उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा करे जो संभवतः प्रत्यर्थी/वादी के व्यवसाय को प्रभावित नहीं कर रहे हों। सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल बेल मेटल गुड्स, (1970) 3 SCC 665 : AIR 1971 SC 898 में यह माना है कि ट्रेडमार्क का स्वामी उन उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है जो उसकी विशिष्टता को क्षति नहीं पहुँचाते। एक्सप्रेस बॉटलर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पेप्सी इंक., (1989) 7 PTC 14 में यह निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है:-

“...सामान्य उपयोग का दावा स्थापित करने के लिए, अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया उपयोग मात्रा में अधिक होना चाहिए। वर्तमान मामले में, कथित उल्लंघनकर्ताओं द्वारा किए गए व्यापार की सीमा या उनके व्यापार में स्थान के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। यदि चिह्न का स्वामी अपने चिह्न को बचाने के लिए प्रत्येक तुच्छ उल्लंघनकर्ता का पीछा करने की अपेक्षा की जाए, तो व्यापार ठप हो जाएगा। क्योंकि ऐसे अवसर आ सकते हैं जब दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति केवल स्वामी को परेशान करने के लिए उसके चिह्न का उपयोग सूई चुभाने जैसी हरकतों से करें। केवल नाम का उपयोग अप्रासंगिक है क्योंकि पंजीकृत स्वामी से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध लगातार वाद या कार्यवाही दायर करे जो महत्वहीन हों... उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने में मात्र विलंब यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पंजीकृत स्वामी ने जानबूझकर अपना चिह्न खो दिया है, जब तक कि यह

सकारात्मक रूप से सिद्ध न हो जाए कि विलंब पंजीकृत चिह्न पर अधिकार को जानबूझकर त्यागने के कारण हुआ। इस न्यायालय का झुकाव प्रत्यर्थी संख्या 1 के इस बिंदु पर प्रस्तुतियों को स्वीकार करने का है... प्रत्यर्थी संख्या 1 ने महत्वहीन उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही न करके अपना चिह्न नहीं खोया..."

22. वास्तव में, डॉ. रेड्डी लैबोरेटरीज बनाम रेड्डी फार्मास्युटिकल्स, (2004) 29 PTC 435 में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित रूप से कहा है :-

"...ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के स्वामियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे प्रत्येक उल्लंघनकर्ता के पीछे भागें और इस प्रकार अपने व्यापारिक समय की कीमत पर मुकदमेबाजी में उलझे रहें। यदि कथित उल्लंघन बहुत तुच्छ या महत्वहीन है और उनके व्यापारिक हितों को नुकसान पहुँचाने में सक्षम नहीं है, तो वे छोटे उल्लंघनों को तब तक नज़रअंदाज़ कर सकते हैं जब तक कि वे चिंताजनक रूप धारण न कर लें। यदि कोई सड़क किनारे ढाबा 'ताज होटल' का बोर्ड लगा देता है, तो ताज समूह के स्वामियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे तुरंत कार्रवाई करें और आपत्ति उठाएँ। वे तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कि उनके नाम का उपयोग उनके व्यापारिक हितों को नुकसान पहुँचाना और ग्राहकों को गुमराह करना शुरू न कर दे।"

23. अपीलकर्ता का अन्य तर्क कि प्रत्यर्थी/वादी ने स्वयं SIDHMOLA, SATMOLA और CHATMOLA चिह्नों के उपयोग की अनुमति दी है, हमें प्रभावित नहीं करता। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा किया गया निजी समझौता संपूर्ण विश्व को उसके HAJMOLA चिह्न का उल्लंघन करने का लाइसेंस नहीं दे सकता। वैसे भी हमारा मत है कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा समान

चिहनों का उपयोग किसी अवैध पासिंग ऑफ कृत्य के लिए बचाव नहीं हो सकता। सेंचुरी ट्रेडर्स बनाम रोशन लाल दुग्गर एंड कंपनी, AIR 1978, Del 250: 1 Supp PTC 720 (Del) (DB) में इस न्यायालय की एक पीठ ने निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है :-

“...इस प्रकार कानून काफी हद तक स्थापित है कि इस चरण में सफल होने के लिए अपीलकर्ता को यह सिद्ध करना आवश्यक था कि उक्त चिह्न का उपयोग प्रतिवादियों द्वारा किए गए आक्षेपित उपयोग से पहले किया गया था।”

24. वास्तव में, कैस्ट्रोल लिमिटेड बनाम ए.के. मेहता, (1997) 17 PTC 408 (DB) में यह माना गया है कि किसी एक मामले में दी गई रियायत का अर्थ यह नहीं है कि अन्य पक्ष भी उसी का उपयोग करने के हकदार हैं। इसी प्रकार प्रकाश रोडलाइन बनाम प्रकाश पार्सल सर्विस, (1992) 2 Arb LR 174 में यह माना गया है कि वादी के अधिकार का उल्लंघन करते हुए किसी तीसरे पक्ष द्वारा समान चिह्न का उपयोग कोई बचाव नहीं है।”

12. जहाँ तक अपीलकर्ताओं की यह दलील है कि प्रत्यर्थी अपीलकर्ताओं को कुछ धनराशि का देनदार है, यह मुद्दा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर वाद में तय किया जाएगा और यह अपीलकर्ताओं द्वारा प्रत्यर्थी के अधिकारों का उल्लंघन करने का आधार नहीं हो सकता।

13. उपरोक्त के आलोक में, हम पाते हैं कि वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

14. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ ऊपर किए गए हमारी टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया के हैं और इन्हें वाद में पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों के गुणागुण पर अंतिम राय नहीं माना जाएगा।

न्या. नवीन चावला,

न्या. रविंद्र डुडेजा,

10 जनवरी, 2025/एसजी/डीजी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।